Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2026/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 9 फरवरी, 2026

(20 माघ, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5)	89
	2. हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6)	91
	3. हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)	93
	4. हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)	95
	5. हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)	97
	6. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10) (केवल हिन्दी में)	99
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग—I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2026

संख्या लैज. 5/2026.— दि हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथोरिटि (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024
को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 की धारा 6 के खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा। 2024 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 6 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12403—L.R.—H.G.P., Pkl.